केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/48 दिनांक: 18.02.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00038
CICOM/R/2018/01196

अपीलकर्ता : श्री वेदप्रकाश गुप्ता,
पुत्र – स्व0 श्री शोभाराम गर्ग,
बी-191, मालवीय नगर, अलवर,
राजस्थान – 301002.

निर्णय की तारीख: 18.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.12.2018, 30.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	70/15.02.2019 (8662/13.02.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 03.05.2017 के परिवाद की संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति की मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस.एस.रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 26.12.2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि वांछित सूचना 31 पृष्ठों की है, जिसके लिए जन सूचना अधिकारी द्वारा 2/-रु0 प्रति पृष्ठ की दर से 62/-रु0 की अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि दिनांक 08.01.2019 के पत्र के माध्यम से 65/-रु0 के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान तीन पोस्टल आर्डर के माध्यम से कर दिया गया है, परन्तु वांछित सूचना उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.01.2019 के पत्र के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान प्राप्त होने पर श्री एस.एस.रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01196/SB के माध्यम से दिनांक 30.01.2019 को 31 पृष्ठों की वांछित सूचना अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है । श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है । **श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
19 FEB 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।